न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या –8/2018 जिला सीकर

1. चन्द्रमोहन
2. राजेश कुमार
3. महेन्द्र सिंह
4. विजेन्द्र सिंह पुत्रान मोतीराम जाति जाट, निवासी ठिकरिया, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर ।

अपीलान्टान

बनाम

1. सरकार जर्ये तहसीलदार खण्डेला, जिला सीकर ।
2. बीदो देवी उर्फ बिदामी देवी पत्नी गोविन्द सिंह, जाति जाट, निवासी ठिकरिया, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर ।

रेस्पोंडेन्टान

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी खण्डेला, जिला सीकर दिनांक 17.3.2017

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री श्याम बाबू पारीक
2. राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक –4.7.2018

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी खण्डेला, जिला सीकर के आदेश दिनांक 17.3.2017 के खिलाफ दिनांक 7.2.2018 को मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि तहसीलदार (भू.अ.) खण्डेला , जिला सीकर ने पत्र क्रमांकः भू.अ. /2016/189 दिनांक 17.1.17 द्वारा प्रस्ताव ग्रम ठीकरिया , पटवार मण्डल ठीकरिया, तहसील खण्डेला के खसरा नम्बर 178, 189, 191, 216/1 में से प्रस्तावित रकबा रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने बाबत अभिशंषा, रिपोर्ट पटवारी हल्का ठीकरिया उप खण्ड अधिकारी खण्डेला , जिला सीकर को प्रेषित किये जाने पर उप खण्ड अधिकारी खण्डेला जिला सीकर ने आदेश क्रमांकः राजस्व/2017/प.म.–ठिकरिया/09 दिनांक 17.3.2017 से माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा बजट घोषणा 2015–16 के परिपेक्ष्य में राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राज. जयपुर के परिपत्र क्रमांकः प.3(2)राज–6/2003/ पार्ट/जयपुर दिनांक 10.8.16 एवं जिला कलक्टर सीकर के पत्र क्रमांकः राजस्व/16/2619–44 दिनांक 16.8.16 एवं राजस्व /2016/4328–53 दिनांक 21.11.16 की पालना में मुताबिक फर्द मौका रास्ता प्रचलित एवं पुराना होने तथा राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने तथा आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आने से राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 व 86 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार , खण्डेला से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार संलग्न् सूची व नक्शा ट्रेस में अंकित/दर्ज खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये तथा तहसीलदार खण्डेला

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

को संलग्न् प्रस्ताव एवं नक्शा ट्रेस की प्रति भेजकर निम्न खसरा नम्बरों की कृषि भूमियों बाबत राजस्व अभिलेख में जरिये नामांतरकरण रास्ते के पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुए रास्ते के रकबे की किस्म गैरमुमकीन रास्ता दर्ज किये जाने एवं नक्शे में उक्तानुसार तरमीम किये जाने के आदेश दिये गये । गैर मुमकीन रास्ते की भूमि संबंधित खातेदारान के खाते में ही रहेगी एवं तहसीलदार खण्डेला द्वारा भेजा गया प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस आदेश का भाग रहेगें ।

क्र. सं.	नाम पटवार मंडल	राजस्व ग्राम	खसरा नं	रास्ते के लिए प्रस्तावित रकबा (है.में)
1.	ठिकरिया	ठिकरिया	178	0.1600
			189	0.020
			191	0.0300
			216/1	0.1300

उप खण्ड अधिकारी खण्डेला के उक्त आदेश के खिलाफ अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम ठिकरिया , तहसील खण्डेला स्थित आराजी खसरा नम्बर 170, 171, 172, 173 व 191 अपीलान्ट्स व रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 की खातेदारी की आराजी है । खसरा नम्बर 191 के दक्षिण में खसरा नम्बर 216/4 216/6, 216/1 है जो गैरमुमकीन चरागाह है एवं खसरा नम्बर 178 भी गैर मुमकीन चरागाह है , खसरा नम्बर 178 के उत्तर में सरपंच श्री गोविन्दराम बाजिया की पत्नी रामेश्वरी, भाई की पत्नी संज्या व झमकूरी का खेत खसरा नम्बर 179 स्थित है । पटवारी ने खसरा नम्बर 178, जो गैरमुकीन चरागाह है, में 0.16 हैक्टेयर शमशान दर्ज करने की रिपोर्ट की है व खसरा नम्बर 189, 191 व 216/1 में 0.13 हैक्टेयर चरागाह को चरागाह एवं खसरा नम्बर 191 में 0.02 बताया है व नक्शे में रास्ता दर्ज करने की बात कहते हुये 15.12.2016 को रिपोर्ट की है । नक्शे में सरासर मौके के विपरीत खसरा नम्बर 178 के उत्तर में ढाणी में जाने का रास्ता अंकित किया है । उप खण्ड अधिकारी खण्डेला ने अपीलान्ट्स को नोटिस दिये बिना गुपचुप में अपीलान्ट्स की भूमि में रास्ता कायम करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । उनका कहना था कि पटवारी हल्का ने मौके की जॉच के समय भी अपीलान्ट्स को कोई नोटिस नहीं दिया न ही मजमे आम का कोई सार्वजनिक नोटिस ही दिया तथा गिरदावर हल्का ने भी मौके की कोई जॉच नहीं की एवं न ही तहसीलदार द्वारा सत्यता की जॉच की गई और प्रोफार्मा में केवल फिल इन द ब्लेंक भरते हुए भेज दिया जिस पर उप खण्ड अधिकारी ने भी बिना नोटिस दिये व बिना जॉच किये अपीलाधीन आदेश पारित किया है , जो विधिविरूद्ध है । ऐसी स्थिति में अपीलान्ट्स को अपीलाधीन आदेश की जानकारी समय पर नहीं हो सकी एवं आदेश की जानकारी होने पर अपीलाधीन आदेश की नकल हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नकल प्राप्त कर जानकारी से अपील अन्दर मियाद धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना

पत्र के साथ प्रस्तुत की है । अतः अपील के गुणावगुण को देखते हुये न्याय हित में विलम्ब को क्षमा किया जाकर अपील का निस्तारण गुणावगुण पर किया जावे । उनका कहना था अपीलान्ट्स की भूमि में कभी कोई रास्ता नहीं रहा न ही मौके पर कोई रास्ता है । पटवारी ने घर पर बैठे– बैठे ही रिपोर्ट तैयार की है , जिसके आधार पर पारित अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ एवं विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी खण्डेला दिनांक 17.3.2017 निरस्त किया जावे ।

राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी खण्डेला के अपीलाधीन आदेश को जनहित में पारित किया जाना बताते हुये अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने का अनुरोध किया ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । सर्वप्रथम मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये एवं विपक्षी द्वारा इस संबंध में कोई विरोध नहीं करने से विलम्ब के संबंध मे लचिला रूख अपनाया जाकर न्यायहित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता है । प्रकरण मे विवाद तहसीलदार की अभिशंषा पर अपीलान्ट्स, रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 एवं अन्य खातेदारों की खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैरमुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज करने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.3.2017 पारित किया गया है ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि तहसीलदार खण्डेला की रिपोर्ट के अनुसार खसरा नम्बर 178 रकबा 5.59 गैरमुमकीन शमशान में से 0.1600 , खसरा नम्बर 189 रकबा 0.37 बजड.2 में से 0.020, खसरा नम्बर 191 रकबा 0.89 गैर मुमकीन झेरा 0.02 व बारानी–ए 0.87 में से 0.0300 व खसरा नम्बर 216/1 रकबा 7.15 चारागाह में से 0.1300 प्रस्तावित रकबा रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने की अभिशंषा के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सीकर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.3.17 से प्रस्तावित प्रचलित रास्ते को गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये । प्रस्तावित रास्ते के संबंध में अपीलान्ट्स के अलावा प्रस्तावित रास्ते की अन्य खसरा नम्बर की भूमियो के खातेदारान द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई है । प्रस्तावित प्रचलित रास्ता सार्वजनिक रूप से आवागमन के लिये उपयोग में आयेगा जिससे सभी व्यक्तियों को आने जाने की सुविधा मिलेगी । ऐसी स्थिति में हम अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी खण्डेला द्वारा गैरमुमकीन रास्ता कायम किये जाने संबंधी अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.3.2017 को उचित एवं विधिसम्यक पाते हैं एवं उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है तथा अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक को 4.7.2018 को सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)

अति. सम्भागीय आयुक्त

जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर